क्रम-संख्या—142

राज. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एंट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 2 मई, 1997

बैशाख 12, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 472/सत्रह-वि-1-1 (क) 2-1997

लखनऊ, 2 मई, 1997

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 1 मई, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1997)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

(2) यह 16 अप्रैल, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1976 की धारा 26 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 26 में शब्द "धारा 29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रभार" के स्थान पर शब्द "धारा 29 के अधीन विहित प्रभार" रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का प्रतिस्थापन

3--मूल अधिनियम की धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

"29 (1) प्रत्येक लाइसेंसधारी समय-समय पर कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिए या उसके संबंध में की गयी किसी अन्य सेवा के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित करेगा और विभिन्न कृषि उत्पाद के लिए विभिन्न प्रभार निश्चित किये जा सकते हैं।

अधिकतम प्रभार

(2) प्रत्येक लाइसेंसधारी उपधारा (1) के अधीन निश्चित प्रभार कोल्ड स्टोरेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर या उसके निकट प्रदर्शित करेगा और उसकी एक प्रति लाइसेंस अधिकारी के कार्यालय में भी देगा।

(3) यदि राज्य सरकार की राय हो कि उपधारा (1) के अधीन किसी लाइसेंसधारी द्वारा निश्चित प्रभार अयुक्तियुक्त अधिक है तो उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे लाइसेंसधारी के सम्बन्ध में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निश्चित प्रभार उस वित्तीय वर्ष जिसमें वे निश्चित किये जायं, के शेष भाग के लिए प्रभावी होंगे।"

धारा 30 का निकाला जाना

4--मूल अधिनियम की धारा 30 निकाल दी जायेगी।

धारा 31 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 31 में, शब्द "धारा 29 में निर्दिष्ट प्रभार" के स्थान पर, शब्द "धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन प्रभार" रख दिये जायेंगे।

धारा 44-क का निकाला जाना

6--मूल अधिनियम की धारा 44-क निकाल दी जायेगी।

निरसन और अपवाद

7--(1) उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

रविन्द्र दयाल माथुर,

प्रमुख सचिव।

No. 472 (2)/XVII-V-1—1(KA)-2-1997

Dated Lucknow, May 2, 1997

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Cold Storage Viniyaman (Sanshodhan) Adhinyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 2 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 1, 1997 :

THE UTTAR PRADESH REGULATION OF COLD STORAGES (AMENDMENT) ; ACT 1997

(U.P. Act No. 2 of 1997)

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act, 1976

It is hereby enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages (Amendment) Act, 1997.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 16, 1997.

2. In section 26 of the Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, for the words "the charges fixed by the State Government under section 29", the words "the charges fixed under section 29" shall be *substituted*. Amendment of section 26 of U. P. Act no. 11 of 1976

3. For section 29 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :— Substitution of section 29

Maximum charges

"29. (1) Every licensee shall, from time to time, fix the maximum charges for storing agricultural produce in the cold storage or for any other service rendered in connection therewith, and different charges may be fixed for different agricultural produce.

(2) Every licensee shall display and exhibit on or near the main entrance of the cold storage the charges fixed under sub-section (1), and shall also deliver a copy thereof in the office of the Licensing Officer.

(3) If the State Government is of the opinion that the charges fixed by a licensee under sub-section (1) are unreasonably high, then notwithstanding the provisions of sub-section (1), the State Government may, by a notified order, fix the maximum charges for the purposes of sub-section (1) with respect to such licensee and the charges so fixed by the State Government shall be effective for the remaining part of the financial year in which they are fixed."

4. Section 30 of the principal Act shall be *Omitted*. Omission of section 30

5. In section 31 of the principal Act, for the words "charges referred to in section 29" the words "charges under sub-section (3) of section 29" shall be *substituted*. Amendment of section 31

6. Section 44-A of the principal Act shall be *Omitted*. Ommission of section 44-A

U. P. Ordinance no. 2 of 1997

7. (1) The Uttar Pradesh Regulation of Cold Storage (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 22 सा० विधा०--(241)--1997--850 (मै०)।